न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कि0रेनवाल जिला जयपुर

सीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.
स्व वाद संख्या :– 70/2024 दायर तारीख :– 29.08.2024

बाबूलाल पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी बाजियों का बास , मलिकपुरा तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. लच्छाराम पुत्र गोदा
2. गेंदा लाल पुत्र लच्छाराम
3. संदुर देवी पुत्री लच्छाराम
   समस्त जाति जाट निवासी बाजियों का बास, मलिकपुरा तहसील कि0 रेनवाल राज0
4. तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर
5. सब रजिस्ट्रार कि0 रेनवाल जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामसिंह , अधिवक्ता वादी

निर्णय

निर्णय दिनांक 12/9/25

1. संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01लगायत् 3 सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है।

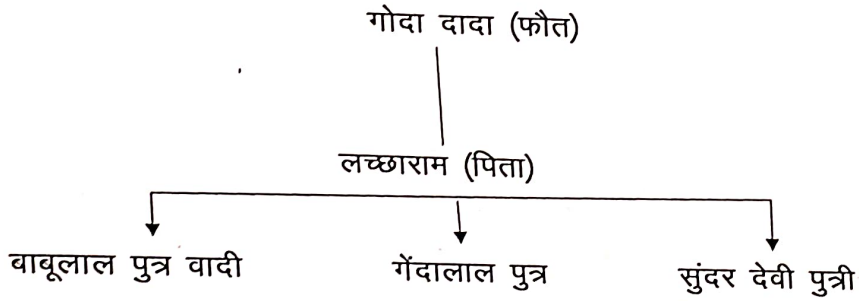

वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 115 रकबा 1.2013 हैक्टैयर वाके ग्राम बाजियों का बास प्रतिवादी–01 (वादी के पिता) को विरासत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें वादी को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रतिवादी –01 के परिवार में जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हो गए है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/4 हिस्से में काबिज काश्त होकर उसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर वादग्रस्त आराजीयात को बेचान कर वादी को उसके हक व हिस्से से वंचित करने पर आमदा है। इस आशय से दिनांक 25.08.2024 को वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ने आकर वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण बेचान करने व मनचाही जगह रास्ता कायम करने की बात की तो वादी ने उसका हिस्सा वादी की खातेदारी में दर्ज कराने को कहा । इस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से मिलकर बेचान करने की धमकी दी। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा व स्थायी

निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी की प्रार्थना की गई कि वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रति संख्या 1 डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्से में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाए। वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा पांबद किया जावे वादी को बेदखल नहीं करे, न कब्जे का व्यवधान उत्पन्न करे, ना ही कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही कोई रास्ता कायम करे तथा नाही उक्त आराजीयात को रहन बय, बेचान, हस्त ,दान इत्यादि से खुर्दबुर्द करे।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन किया गया । प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुद्धा प्राप्त हुए। बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में लाई गई।
3. प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर पत्र वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वादीगण की ओर से वादपत्र को साबित करने लिए साक्ष्य में पीडब्लू–1 श्री बाबूलाल तथा पीडब्लू–02 श्री मक्खनलाल के सश बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादी की और से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श जमाबन्दी संवत 2073–2076 प्रदर्शित करवाई गई।
4. हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान अधिव वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीक करने का निवेदन किया।
5. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर म किया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड, दस्तावेजात, बयानात का अवलोक किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादीगण द्वारा यह व पुश्तैनी आराजीयात में सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के नाते पर परिवार जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न होने के आधार पर पेश किया गया वादी द्वारा पुश्तैनी आराजीयात में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2073–207 प्रदर्श कराई गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 लच्छाराम बतौर खातेदार अंकित है न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होना साबित होता है। वादी एंव उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद मे वर्णित कथनों की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल मौखिक कथनों के आधार पर वादी को अनुतोष प्रदान करना न्यायसंगत नहीं है बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होना आवश्यक है । अतः वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एंव उपर्युक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित नहीं होने एवम् सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार ही डिक्री पर्चा जारी हो।
निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19/9/25 को सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा) आर०ए०स०
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल
बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

बाबूलाल बनाम लच्छाराम वगै0

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं0 70/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामसिंह व हाजरी श्री ..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित नहीं होने एवम् सारहीन होने के कारण खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 ..माह .09. सन् .25. को जारी की गई।

(सर्वेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना अधिवक्ता	–	–
महन्ताना अधिवक्ता	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक मीजान	–	–	मुतफरिक मीजान	–	–